



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23022022-233680
CG-DL-E-23022022-233680

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 142]
No. 142]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 22, 2022/फाल्गुन 3, 1943
NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 22, 2022/PHALGUNA 3, 1943

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 2022

सा.का.नि. 145(अ).—अंतर्देशीय जलयान [कर्मीदल और यात्री स्थान सुविधा] नियम 2022 का मसौदा, जिसे केंद्र सरकार 2021 के अंतर्देशीय जलयान अधिनियम (2021 का 24) के धारा 106 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, इसके द्वारा प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है; और एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त मसौदे पर उस तारीख से तीस दिनों के बाद विचार किया जाएगा जिस तारीख को राजपत्र में प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई जाती हैं;

इन मसौदा नियमों पर आपत्तियां या सुझाव, यदि कोई हों, निदेशक (आईडब्ल्यूटी), पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, कमरा नंबर 439, परिवहन भवन, 1-संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को या abhay.sarode@gov.in और uttam.mishra27@gov.in ईमेल द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की प्रतियां, जनता को उपलब्ध कराने की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर संबोधित किया जा सकता है;

कथित मसौदा नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से विनिदष्ट अवधि के भीतर प्राप्त आपत्तियों या सुझावों पर केन्द्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अंतर्देशीय जलयान (कर्मीदल और यात्री स्थान सुविधा) नियम 2022 है।
 (2) ये राजपत्र में अपने अंतिम प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. परिभाषाएं

- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

(क) "अधिनियम" से अंतर्देशीय जलयान (अधिनियम), (2021) (2021का24) अभिप्रेत है

(ख) "विद्यमान जलयान" अथवा "विद्यमान अंतर्देशीय जलयान" से अभिप्रेत है कोई अंतर्देशीय जलयान जो ऐसा नया अंतर्देशीय जलयान नहीं है जो नियम 3 के उप-नियम (1) के खंड (ड.) के अंतर्गत प्रदान की गई परिभाषा की अधिकारिता के अधीन आता है;

(ग) "अंतर्देशीय जलयान" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 3(म) के अंतर्गत यथापरिभाषित कोई यांत्रिक रूप से चालित अंतर्देशीय जलयान;

(घ) "प्रमुख परिवर्तन अथवा आशोधन" से निम्नलिखित में से कोई अभिप्रेत है;

i) जलयान के सकल टनभार में 10 प्रतिशत से अधिक परिवर्तन

ii) जलयान के प्रकार में परिवर्तन

iii) प्रणोदन प्रणाली/मुख्य इंजन/ईंधन के प्रकार में परिवर्तन

(ड.) "नए अंतर्देशीय जलयान" से अभिप्रेत है कोई अंतर्देशीय जलयान जिसका पेंदा रखा गया है अथवा जो नियमों के प्रवृत्त होने की तारीख को अथवा उसके पश्चात् निर्माण के समान चरण में है;

(च) किसी जलयान का "सकल टनभार (जीटी)" अंतर्राष्ट्रीय टनभार कन्वेंशन 1969 के अनुसार आकलित जीटी है;

- (2) प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियां, जो इन नियमों में परिभाषित नहीं की गई हैं लेकिन अधिनियम में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें अधिनियम में दिया गया है।

3. अंतर्देशीय जलयान: इन नियमों के प्रयोजन के लिए अंतर्देशीय जहाजों को निम्नलिखित श्रेणियों के अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा:

- (1) जो जलयान श्रेणी "क" में आते हैं, वे निम्नलिखित में से किसी एक प्रकार के डेकनुमा जलयान होंगे:

(क) जलयान जो [लम्बाई में 24 मीटर] से अधिक हैं;

(ख) जलयान अथवा रो-रो यात्री फेरी जो [50] से अधिक यात्री ले जाते हैं;

(ग) दूसरे जलयानों को खींचने में सक्षम ऐसे सभी जलयान, जिनकी बोलाई पुल क्षमता [10 टन] से अधिक है;

(घ) कार्गो के रूप में थोक में पेट्रोलियम माल, रसायन अथवा तरलीकृत गैसों को वहन करने के लिए डिजाइन और निर्माण किए गए जलयान;

(ड.) खतरनाक माल वहन करने वाले जलयान।

(च) 300 जीटी और उससे अधिक के जलयान

श्रेणी 'क' जलयानों को सर्वेक्षण के अंतर्गत और किसी वर्गीकरण सोसाइटी, जो अन्तर्राष्ट्रीय वर्गीकरण सोसाइटी संघ (आईएसीएस) की सदस्य है, की अपेक्षाओं के अनुसार डिजाइन, निर्मित और अनुरक्षित किया जाएगा,

(2) श्रेणी 'ख' जलयान जो श्रेणी क अथवा श्रेणी ग से भिन्न हैं।

श्रेणी ख के जलयानों को किसी वर्गीकरण सोसाइटी, जो अन्तर्राष्ट्रीय वर्गीकरण सोसाइटी संघ (आईएसीएस) की सदस्य है, के सर्वेक्षण के अंतर्गत डिजाइन, निर्मित और अनुरक्षित किया जाएगा,

किसी वर्गीकरण सोसाइटी के सर्वेक्षण के अंतर्गत डिजाइन और निर्मित जो कि अन्तर्राष्ट्रीय वर्गीकरण सोसाइटी संघ (आईएसीएस) की सदस्य है और जो अभिहित प्राधिकारी के सर्वेक्षणके अंतर्गत अनुरक्षित किया जाएगा,

(3) श्रेणी 'ग' जलयान लंबाई में 10 मीटर से कम हैं।

श्रेणी ग जलयानों को किसी वर्गीकरण सोसाइटी, जो अन्तर्राष्ट्रीय वर्गीकरण सोसाइटी संघ (आईएसीएस) की सदस्य है, के सर्वेक्षण के अंतर्गत डिजाइन, निर्मित और अनुरक्षित किया जाएगा अथवा अभिहित प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त समझे गए डिजाइन, निर्माण और सर्वेक्षण के लिए निर्धारितमानकों के अनुसार निर्मित किया जाएगा और अभिहित प्राधिकारी के सर्वेक्षण के अंतर्गत अनुरक्षित किया जाएगा।

4. अनुपालन की सीमा:

(1) सभी मौजूदा अंतर्देशीय जलयान इन नियमों के प्रवृत्त होने से पूर्व के विद्यमान आवश्यकताओं का पालन करेंगे;

(2) नए अंतर्देशीय जलयानों के स्वामी/संचालक और मास्टर, यह सुनिश्चित करेंगे कि जलयान कर्मीदल और यात्रियों के स्थान सुविधा के लिए मानकों से संबंधित आवश्यकताओं, निर्मित, अनुरक्षित और प्रचालित किया गया है, जैसाकि इन नियमों के अंतर्गत उपबंधित किया गया है, और यह जलयान अपनी आशयित सेवा के लिए उपयुक्त है।

(3) किसी भी अंतर्देशीय जलयान को जलयान अधिनियम और अंतर्देशीय जलयान (सर्वेक्षण और प्रमाणीकरण) नियम, 2022 के अंतर्गत सर्वेक्षण के प्रमाण-पत्र के साथ जारी नहीं किया जाएगा, जब तक किऐसा जलयान कर्मीदल और यात्रियों के आवास के लिए मानकों का अनुपालन नहीं करता है जिसमें अंतर्देशीय जलयान का भौतिक डिजाइन अथवा वे सुविधाएं भी शामिल हैं जो अंतर्देशीय जलयान में होनी चाहिए अथवा वे जो परिचालन या प्रक्रियात्मक प्रकृति की हैं, जिनका इन नियमों के तहत, जिनका अंतर्देशीय जलयान को पालन करना आवश्यक है।

(4) उपर्युक्त उप-नियम (1) से (3) के होते हुए भी, राज्य सरकार जलयानों की किसी श्रेणी के लिए अतिरिक्त अपेक्षाएं लागू कर सकेगी अथवा अपेक्षाओं में छूट दे सकेगी।

(5) राज्य सरकारें इन नियमों के किसी भी उपबंध से किसी भी अंतर्देशीय जलयान को छूट दे सकेगी, जिसमें इन नियमों के किसी उपबंध से नवीन प्रकार की विशेषताएं निहित हैं, जिनका अनुप्रयोग से ऐसी विशेषताओं के विकास में अनुसंधान और जलयानों में उनके समावेश को गंभीर रूप से बाधित कर सकता है, और ऐसा कोई भी जलयान, तथापि, ऐसी अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा, जो अभिहित प्राधिकारी की राय में, एक ऐसा मानक प्राप्त करता है, जो इन नियमों द्वारा निर्दिष्ट के समकक्ष या उससे उच्चतर है।

5. लागू होना

जब तक इन नियमों में अन्यथा निर्दिष्ट न किया जाए, यह अध्याय 300 जीटी और अधिक के "श्रेणी-क" के सभी जलयानों के लिए लागू होगा।

6. स्थान-सुविधा की सामान्य अपेक्षाएं

(1) अंतर्देशीय जलयानों में उस पर आभ्यासिक रहने वाले व्यक्तियों के लिए और कम-से-कम न्यूनतम कर्मीदल के लिए स्थान-सुविधा होनी चाहिए।

(2) स्थान-सुविधा इस तरह से डिजाइन, व्यवस्थित और फिट की जानी चाहिए कि वह जलयान पर सवार लोगों की स्वास्थ्य, सुरक्षा और आराम की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें और ऐसी स्थान-सुविधा सुरक्षित और आसान अभिगम वाली तथा गर्मी और ठंड के विरुद्ध पर्याप्त रूप से तापावरोधी होनी चाहिए।

(3) उपरोक्त उप-नियम (2) के प्रयोजनों के लिए, कर्मिदल स्थान-सुविधा और उस तक पहुँचने और वहाँ से निकलने के साधनों को इस प्रकार व्यवस्थित और निर्मित किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि;

(क) क्षति के प्रति अधिकतम व्यावहारिक सीमा तक कर्मिदल की सुरक्षा;

(ख) प्रतिकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों के प्रति कर्मिदल स्थान-सुविधा की सुरक्षा;

(ग) जलयान में अन्य स्थानों में उत्पन्न होने वाले निःस्पंदन की कर्मिदल स्थान-सुविधा से निष्कासन; तथा

(घ) जलयान में अन्य स्थानों में उत्पन्न होने वाले शोर का कर्मिदल स्थान-सुविधा से अधिकतम व्यावहारिक सीमा तक निष्कासन।

7. स्थान-सुविधा के लिए विशेष डिजाइन अपेक्षाएं

(1) पेंट्रियों, वस्त्र सुखाने के कक्षों, लॉकरों, भण्डार कक्ष स्वच्छता आवास, यात्रामार्गों, कार्यालयों के अलावा, कर्मिदल स्थान-सुविधा के हर भाग को प्राकृतिक प्रकाश से उचित रूप से प्रकाशमान किया जाएगा और जहाँ तक संभव हो, सार्वजनिक रिहायशी क्वार्टर विकल्प प्रदान करेंगे।

स्पष्टीकरण: यदि जलयान में किसी स्थान पर, उचित प्राकृतिक प्रकाश व्यवस्था प्रदान करना अव्यावहारिक है, तो ऐसी प्रकाश व्यवस्था की आवश्यकता नहीं होगी, यदि उस स्थान में हमेशा पर्याप्त विद्युत प्रकाश उपलब्ध हो।

(2) खान-पान कक्ष और शयन केबिन में निम्नलिखित होगा;

(क) कम से कम दो निकास जो एक दूसरे से यथासंभव दूर हैं और जो बचने के मार्गों के रूप में कार्य करते हैं;

(ख) उपरोक्त (क) के अनुसार आवश्यक निकासों में से एक को आपातकालीन निकास के रूप में डिजाइन किया जा सकेगा।

(3) ऊपर उप-नियम (2) के अंतर्गत निकास की आवश्यकता उन कक्षों पर लागू नहीं होगी, जिनके निकास सीधे डेक पर या गलियारे में खुलते हैं और जो निकास मार्ग के रूप में कार्य करते हैं। तथापि, बड़े कमरे जैसे डॉर्मिटरी में दो निकास द्वार प्रदान किए जाने चाहिए। आपातकालीन निकास, जिसमें रोशनदान और खिड़कियां शामिल हो सकते हैं, में कम से कम 0.36 वर्गमीटर का स्पष्ट द्वार होना चाहिए और उसकी सबसे छोटी साइड 0.50 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए और आपात स्थिति में उससे त्वरित निकासी सुगम होनी चाहिए।

बचाव मार्गों को तापावरोधन और क्लैडिंग लपट-प्रतिरोधी सामग्री से बना होना चाहिए और बचाव मार्गों की उपयोगिता को हर समय उचित माध्यमों जैसे सीढ़ी या अलग से संलग्न निसैनियों द्वारा उपयोग के लिए गारंटीकृत किया जाएगा।

(4) खान-पान कक्ष का फर्श क्षेत्रफल प्रति व्यक्ति 0.7 वर्ग मीटर से कम नहीं होगा। इसके लिए, व्यक्तियों की संख्या जलयान पर कुल कर्मिदल के 70% तक सीमित हो सकेगी।

(5) शयन केबिन का फर्श क्षेत्रफल सामान्य रूप से प्रति व्यक्ति न्यूनतम 2.5 वर्ग मीटर होना चाहिए। एक से अधिक व्यक्तियों को समायोजित करने वाले शयन कक्षों के लिए, न्यूनतम फर्श क्षेत्रफल प्रति व्यक्ति 1.75 वर्ग मीटर तक कम किया जा सकेगा।

(6) दरवाजों का मुखभाग कम-से-कम 0.60 मीटर की स्पष्ट चौड़ाई वाला होना चाहिए और निर्धारित ऊंचाई स्लाइडिंग या हिंगेड कवर या फ्लैप के माध्यम से हासिल की जा सकेगी।

स्पष्टीकरण : गलियारे में खुलने वाले केबिन के दरवाजों को छोड़कर अन्य दरवाजे आम तौर पर बाहर की ओर खुलेंगे, और उन्हें दोनों तरफ से खोलना संभव होगा।

(7) सीढ़ियां स्थायी रूप से फिक्स होनी चाहिए और उनका डिजाइन ऐसा होना चाहिए कि:

क) वे कम-से-कम 0.60 मी चौड़ी हो;

ख) पावड़ी न्यूनतम 0.15 मी गहरी हो;

ग) सीढियां फिसलन-रोधी हों, और

घ) तीन सीढियों से अधिक के साथ सीढीमार्ग में न्यूनतम एक हैंडरेल अथवा हैंडल लगा हो।

(8) खतरनाक गैसों या द्रव्यों को ले जाने वाले पाइप, और विशेष रूप से जिनमें ऐसे उच्च दबाव हैं जिनका रिसाव व्यक्तियों के लिए खतरा पैदा कर सकता है, आवास स्थानों या उन गलियारों में स्थित नहीं होने चाहिए जो आवास स्थानों की ओर जाते हैं और यह वाष्प पाइपों और हाइड्रोलिक सिस्टम पाइपों पर लागू नहीं होता है, बशर्ते वे धातु परतों में फिट हों।

8. स्वच्छता स्थापनाएं

(1) जलयान में निम्नलिखित न्यूनतम स्वच्छता स्थापनाएं उपलब्ध कराई जाएंगी:

(क) कर्मिदल के प्रत्येक आठ सदस्यों के लिए एक शौचालय; इन्हें ताजी हवा से संवातित करना संभव हो;

(ख) कर्मिदल के प्रत्येक चार सदस्यों के लिए एक वॉशबेसिन;

(ग) कर्मिदल के प्रत्येक आठ सदस्यों के लिए एक शॉवर या स्नान:

9. गैली

(1) ऐसे जलयानों के लिए, जिन पर व्यक्ति रहते हैं, भोजन तैयार करने के लिए एक गैली प्रदान की जाएगी। गैली के स्थान पर, बाहर से भोजन की आपूर्ति करने के लिए व्यवस्थाओं के साथ छोटी यात्राओं पर प्रचालन के लिए अभिहित जलयानों के लिए रेफ्रिजरेटर और इलेक्ट्रिक हीटर के साथ एक छोटी पेंट्री पर्याप्त होगी।

(2) भंडारों की क्रमिक पुनःपूर्ति के बीच संभावित अधिकतम अवधि और उन व्यक्तियों की अधिकतम संख्या जिनके लिए भोजन परोसा जाना है, को ध्यान में रखते हुए कर्मिदल के लिए शुष्क प्रावधानों के भंडारण के लिए स्थान और व्यवस्थाएं प्रदान की जाएगी।

(3) खराब होने वाले सामानों को भंडारित करने के लिए साधन उपलब्ध कराए जाएंगे और इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त क्षमता के बॉक्स फ्रीजर/कोल्ड रूम उपलब्ध कराए जाएंगे।

10. ताजे पानी और पेय जल की आपूर्ति

(1) इन नियमों के अनुपालन में लगाए गए वॉश बेसिन, स्नानागारों और शॉवरों के लिए पर्याप्त ताजे पानी की आपूर्ति उपलब्ध होगी।

(2) कर्मिदल के प्रत्येक सदस्य के लिए कम से कम 50 लीटर की क्षमता के टैंकों से प्रत्येक दिन के लिए आपूर्ति की जाएगी जिनके पानी की लगातार पुनःपूर्ति या अन्य समान रूप से कुशल साधनों के बीच समाप्त होने की संभावना है।

(3) कर्मिदल में व्यक्तियों की संख्या और पानी की लगातार पुनःपूर्ति और अन्य के बीच बीतने की संभावना को ध्यान में रखते हुए कर्मिदल स्थान-सुविधा में पीने के पानी की आपूर्ति इस प्रयोजनार्थ पर्याप्त क्षमता के टैंकों से उपलब्ध कराई जाएगी तथा इस व्यवस्था के बदले अन्य कुशल साधनों को स्वीकार किया जा सकता है।

(4) पेयजल स्थापनाएं ऐसी होंगी कि:

(क) उनकी आंतरिक सतहें ऐसी सामग्री से बनी हों, जो जंग का प्रतिरोध करती है और जो कोई शारीरिक जोखिम पैदा नहीं करती हैं;

(ख) वे ऐसे पाइप खण्डों से मुक्त होंगी जहां पानी के नियमित प्रवाह की गारंटी नहीं है, और

(ग) उन्हें अत्यधिक तापन के प्रति संरक्षित किया जाएगा।

11. वातानुकूलन और संवातन

(1) कर्मिदल स्थान-सुविधा क्षेत्र पर्याप्त रूप से संवातित होंगे।

(2) अगर दरवाजे बंद हों, तो भी कर्मिदल के स्थान-सुविधा के संलग्न हिस्सों को पर्याप्त रूप से संवातित करना संभव होगा और संवातन सभी जलवायु परिस्थितियों में पर्याप्त वायु परिसंचरण सुनिश्चित करेगा।

(3) स्थान-सुविधा को इस तरह से डिजाइन और व्यवस्थित किया जाएगा कि जहां तक संभव हो जलयान के अन्य क्षेत्रों जैसे इंजन रूम या होल्ड से दुर्गन्धयुक्त हवा के प्रवेश को रोका जा सके; जहां बलात-हवा के संवातन का उपयोग किया जाता है, इन्टेक वेंट्स को इस तरह रखा जाएगा कि उपरोक्त आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

(4) जहां उपलब्ध कराया गया है, वहां केंद्रीयकृत प्रकार की वातानुकूलन प्रणाली को इस प्रकार डिजाइन किया जाएगा जिससे -

(क) 50 प्रतिशत सापेक्ष आर्द्रता के साथ 28° के संतोषजनक तापमान पर वायु को अनुरक्षित रखा जा सके, जब परिवेश का तापमान 70 प्रतिशत सापेक्ष आर्द्रता के साथ 35 डिग्री सेल्सियस हो;

(ख) किसी भी खान-पान कक्ष या मनोरंजन कक्ष में प्रति घंटे आठ वायु परिवर्तन और किसी अन्य कक्ष में छह वायु परिवर्तन सुनिश्चित किए जा सकें, यात्रा के दौरान किसी भी स्तर पर पुनःपरिचालित हवा की मात्रा 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी;

12. अन्य आवास स्थापनाएं

जलयान पर रहने वाले चालक दल के प्रत्येक सदस्य के पास एक अलग बर्थ और ताले के साथ एक व्यक्तिगत वस्त्र लॉकर होगा।

13. बल्क हैडों और पैनलिंग का निर्माण

(1) कर्मिदल के आवास के किसी भी हिस्से में या उसके भीतर सभी बल्कहेड स्टील या अन्य उपयुक्त सामग्री से बने होंगे और यदि बल्कहेड्स मौसम के संपर्क में आते हैं, तो वे वाटरटाइट निर्माण के होंगे, और ऐसे बल्कहेड्स में सभी द्वारोंको बंद करने के साधन उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि उन्हें मौसम के अनुकूल बनाया जा सके।

(2) यदि सुविधा स्थानों के भीतर विभाजन/बल्कहेड स्टील से निर्मित नहीं हैं, तो सुविधा-स्थान में प्रयुक्त पैनलिंग/सीलिंगकिसी अनुमोदित गुणवत्ता की गैर-दहनशील सामग्री से बनी होगी।

(3) कोई भी बल्कहेड जो कर्मिदल के सुविधा-स्थान के किसी भी हिस्से (मनोरंजन डेक स्थान के अलावा) को किसी स्थान से अलग करता है जिसका उपयोग निम्न के रूप में किया जाता है -

(क) तेल ईंधन बनकर;

(ख) कार्गो और मशीनरी स्थान;

(ग) लैम्प कक्ष अथवा पेंट कक्ष;

(घ) भण्डार कक्ष जो कर्मिदल सुविधा-स्थान का भाग नहीं बनता है (शुष्क प्रावधान भण्डार कक्ष के अलावा);

(ङ.) चेन लॉकर; अथवा

(च) कोफेडाम

गैसटाइट होगा, और जहां कर्मिदल सुविधा-स्थान के संरक्षित करना आवश्यक है, वाटरटाइट होगा।

(4) कर्मिदल के सुविधा-स्थान में किसी भी अंदरूनी पैनलिंग का निर्माण एक ऐसी उपयुक्त सामग्री से किया जाएगा, जिसे आसानी से साफ रखा जा सके।

(5) न तो बल्कहेड का और न ही भीतरी पैनलिंग का निर्माण टंग्ड और ग्रोव्ड बोर्डिंग के साथ या इस तरह से या ऐसी सामग्री के साथ किया जाएगा जिसमें कृमि पैदा होने की संभावना हो।

14. ऊपरी डेक और फर्श

(1) मौसम के संपर्क में आने वाले प्रत्येक ओवरहेड डेक का निर्माण स्टील या समकक्ष सामग्री से किया जाएगा।

(2) प्रत्येक डेक जो कर्मिदल आवास में फर्श का भाग बनता है, उचित रूप से निर्मित किया जाएगा और इसमें एक सतह होगी जो एक अच्छी तलहटी प्रदान करती है और आसानी से साफ रखने में सक्षम है।

(3) फर्श कवरिंग पानी के रिसाव के प्रति अभेद्य होगा और, यदि डेक तेल टैंक के शीर्ष पर स्थित है, तो इसका कवर तेल के प्रति अभेद्य होगा।

15. चिकित्सा कैबिनेट

(1) प्रत्येक जलयान न्यूनतम रूप से कर्मिदल के प्रयोग के लिए निम्नलिखित चिकित्सा उपकरणों को साथ लेकर चलेगा:

(क) एक प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स, जीवनरक्षक नौका के लिए निर्दिष्ट से अन्यून;

(ख) घायलों की आसान निकासी के लिए एक स्ट्रेचर।

16. मच्छरों और चूहों से सुरक्षा.

(1) गैली, भंडारगृहों और खुले डेक पर मनोरंजन स्थलों के अलावा यात्री स्थान सुविधा स्थलों में मच्छरों के प्रवेश से सुरक्षा प्रदान की जाएगी।

(2) इस तरह की सुरक्षा जंग-रोधी तार या अन्य उपयुक्त सामग्री की स्क्रीनों के माध्यम से प्रदान की जाएगी, जो खुले डेक की ओर स्थित सभी साइड स्कटल्स, प्राकृतिक वेंटिलेटर, स्काईलाइट्स और दरवाजों पर लगाई जाएगी।

(3) सुविधा स्थान स्थलों में प्रभावी मूषक-रोधी उपाय किए जाएंगे।

17. लागू होना

(1) इस भाग के उपबंध श्रेणी क के समस्त यात्री जलयानों पर लागू होंगे, जैसाकि नियम 4 में परिभाषित किया गया है।

(2) ये नियम श्रेणी ख यात्री पर लागू होंगे जैसा उक्त नियमों में परिभाषित किया गया है, जब तक कि इसे अभिहित प्राधिकारी द्वारा व्यवहारिक और युक्तियुक्त समझा जाए।

18. अधिकतम यात्री संख्या

जलयान पर यात्रियों की संख्या इस प्रकार निर्धारित की जाएगी कि उससे निम्नलिखित की पूर्ति होती हो:

(क) अंतर्देशीय जलमार्ग (डिजाइन और निर्माण) नियम, 20xx में दी गई स्थायित्व अपेक्षाएं

(ख) इन नियमों के नियम 20 दी गई क्लीयर डेक क्षेत्र अपेक्षाएं

(ग) इन नियमों में दी गई यात्री स्थान सुविधा अपेक्षाएं।

19. अनुमति योग्य यात्री सुविधा स्थान

(1) वाटरलाइन/बल्कहेड के नीचे केवल एक यात्री डेक की ही अनुमति है। यह एक एकल स्थान होना चाहिए।

यात्री स्थानों में यह शामिल नहीं है:

(क) शौचालय

- (ख) डेकसीढ़ी/सीढ़ियां/निकासी के साधन और 750 मिमी से कम चौड़ा कोई यात्रीमार्ग,
 (ग) सुरक्षा उपकरणों और अन्य जलयान संबंधी प्रचालनात्मक उपकरणों द्वारा स्थायी रूप से घेरे गए स्थान,
 (घ) जलयान के सुरक्षित प्रचालन के लिए तैयार किए गए क्षेत्र, जैसे
 (i) मशीनरी/नौवहन/नौबंध,
 (ii) रो-रो जलयानों पर उपलब्ध कराए गए संलग्न वाहन वाहक स्थान,
 (iii) ओपन डेक वाहन वाहक स्थान।

(2) संलग्न स्थानों के लिए स्पष्ट क्षेत्र का आकलन करने में, टेबलों और स्थायी जुड़नारों द्वारा घेरे गए स्थान की कटौती की जाएगी।

(3) खुले डेक स्थानों के लिए स्पष्ट क्षेत्र का मापन उन बिंदुओं के बीच किया जाएगा जिनके भीतर सर्वेक्षक यह मानता है कि क्षेत्र यात्रियों के सुरक्षित और उचित आवास के लिए उपयुक्त है।

(4) स्पष्ट क्षेत्र से अभिप्रेत वह क्षेत्र है जो उस क्षेत्र के बाद बचता है जिसे समस्त रुकावटों ने घेरा होता है जैसे हैचवे, स्काईलाइट्स, डेक की सीढ़िया, केसिंग्स, वेंटिलेटर, नेविगोटिंग स्पेस, सामान लॉकर तथा खुले डेक पर या लॉकरों में रखे गए जीवन रक्षक उपकरणों के क्षेत्र को इसमें से घटा दिया जाता है।

(5) जिन डेकों पर यात्रियों को बैठाया जाता है, वे जहाज के स्थायी ढांचे का हिस्सा होंगे और पर्याप्त मजबूती वाले होंगे।

स्पष्टीकरण 1: यदि कोई डेक लकड़ी का बना है, तो उसे ठीक से बिछाया जाना चाहिए और ढक दिया जाना चाहिए और उस स्थान के एक किनारे से दूसरे तक लगातार होना चाहिए जहां से यात्रियों को ले जाया जाता है।

(6) ज्वलनशील तेलों के भंडारण के लिए उपयोग किए जाने वाले लैंप रूम, पेंट रूम और स्थान की दरवाजों या यात्रीमार्गों से यात्री आवास तक सीधी पहुंच नहीं होगी या वह ऐसी जगह पर स्थित नहीं होंगे जिससे यात्रियों के लिए खतरा पैदा हो सके और यात्री को तेल ईंधन बंकर से सटे किसी स्थान में नहीं रखा जाएगा, एक जब तक कि बंकर से उस स्थान को एक अतिरिक्त स्टील वाष्प प्रूफ बल्क द्वारा पृथक न किया गया हो और उसे इस प्रकार व्यवस्थित नहीं किया गया हो कि दो बल्कहेड्स के बीच की जगह अच्छी तरह से हवादार और अभिगम्य हो।

(7) उप-नियम (8) के प्रयोजन के लिए, यात्री आवास किसी ऑयल फ्यूल स्थान के शीर्ष का निर्माण कर रहे डेक पर स्थित हो सकता है, यदि -

(क) डेक ऑयल-टाइट है;

(ख) यात्री स्थान उपयुक्त रूप से संवातित है;

(ग) यात्री स्थानों में कोई मैनहोल अथवा ऑयल फ्यूल स्थान की ओपनिंग विद्यमान नहीं है; और

(घ) यात्री स्थान का फर्श धातु का है और ऐसी मोटाई वाला है जिसका अनुमोदन इस प्रयोजनार्थ अभिहित प्राधिकारी द्वारा किया गया है।

(8) यात्री आवास को गैस-टाइट स्टील बल्कहेड और डेक के माध्यम से स्थोरा स्थान, भंडार कक्षों, लैंप रूम और पेंट रूम और ज्वलनशील तेलों के भंडारण के लिए उपयोग किए जाने वाले अन्य स्थानों से अलग किया जाएगा।

20. स्पष्ट डेक क्षेत्र

(1) जहां नियम 23 के अनुसार केवल बैठने की जगह प्रदान की जाती है, यात्री स्थानों के लिए अनुमत यात्रियों की संख्या का निर्धारण मार्गों को छोड़कर वर्ग मीटर में स्पष्ट डेक क्षेत्र को 0.60 से विभाजित करके किया जाएगा।

(2) जहां यात्रियों को डेकहाउसों के शीर्ष तक पहुंचने की अनुमति है, वहां यात्रियों की संख्या का निर्धारण मार्गों को छोड़कर वर्ग मीटर में स्पष्ट डेक क्षेत्र को 0.85 से विभाजित करके किया जाएगा।

21. कतिपय बर्थों का प्रावधान

- (1) जहां यात्रा की अवधि 24 घंटे से अधिक है, वहां समुचित शयन बर्थ उपलब्ध कराई जाएंगी।
- (2) उपयुक्त रूप से निर्मित और फिट की गई निश्चित बर्थों की संख्या उन यात्रियों की संख्या निर्धारित करेगी जिन्हें किसी भी जलयान में उपलब्ध कराए गए केबिन श्रेणी के आवास में ले जाने की अनुमति दी जा सकती है।
- (3) केबिन श्रेणी के यात्रियों को समायोजित करने वाली किसी केबिन में ऐसी आठ से अधिक बर्थ नहीं होंगी।
- (4) किसी भी केबिन में दो टियर से अधिक बर्थ नहीं होंगी और प्रत्येक केबिन श्रेणी के यात्री के लिए कम से कम 3.35 वर्ग मीटर खाली जगह उपलब्ध कराई जानी चाहिए और जहां बच्चों के लिए छोटी बर्थ फिट की जाती हैं, वहां आवंटित कुल स्थान ऐसी बर्थ के प्रत्येक जोड़े के लिए 3.5 वर्ग मीटर होगा।

22. शायिकाओं का प्रावधान

(1) जहां केबिन बर्थों के स्थान पर यात्रियों के समायोजन के लिए शायिका स्थान प्रदान किए गए हैं, ऐसी शायिकाएं में निम्नलिखित अपेक्षाओं का अनुपालन किया जाएगा,-

(क) शायिका का आकार 1.90 मीटर लंबाई और 0.70 मीटर चौड़ाई से कम नहीं होना चाहिए; (ख) प्रत्येक शायिका की यात्रीमार्ग तक प्रत्यक्ष पहुंच होगी और यात्रीमार्गों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाएगा कि वे किसी बचाव मार्ग तक सुगम पहुंच प्रदान करते हों;

(ग) यात्री मार्गों की चौड़ाई 0.70 मीटर से कम नहीं होगी;

(घ) शायिकाएं एकल और युगल टियरों में फिट की जा सकेंगी; निम्नलिखित अपेक्षाओं का अनुपालन किया जाएगा, अर्थात:-

(i) डेक और निचली शायिका के आधार के बीच की दूरी 0.45 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए;

(ii) निचली शायिका के आधार और ऊपरी शायिका के आधार के बीच की दूरी 0.90 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए;

(iii) ऊपरी शायिका के आधार और किसी ऊपरी बाधा की भीतरी ओर के बीच की दूरी 0.90 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए; और

(iv) ऊपरी शायिका तक मुक्त अधिगम प्रदान करने के लिए उपयुक्त उपाय किए जाएंगे।

(ड.) शायिकाओं को लीबोर्ड या ली-रेलों के साथ जोड़ा जाएगा और जहां शायिकाएं साथ-साथ फिट की गई हैं, वहां उनके बीच दूरी के उपयुक्त साधन उपलब्ध कराए जाएंगे;

(च) शायिकाएं और उनकी फिटिंग धातु के बनी होगी और उस प्रकार की होगी जैसा नामित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया होगा;

(छ) कोई शायिका किसी भी हैच ओपनिंग के 0.90 मीटर के भीतर नहीं लगाई जाएगी, सिवाय वहां, जहां ऐसी ओपनिंग अभिहित प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार ट्रंक की गई हो अथवा उन्हें अन्यथा संरक्षित किया गया हो।

(ज) कोई शायिका जलयान के किनारे पर फ्रेमों, स्पैरिंग या लाइनिंग के अग्रभाग से 0.60 मीटर के भीतर नहीं लगाई जाएगी;

(झ) किसी भी सीढ़ी या नसैनी-मार्ग, हाथ-मुंह धोने के स्थान, मूत्रालय या बैटरी या शौचालय या किसी पानी के नल या अग्नि हाइड्रेंट के प्रवेश द्वार के 0.75 मीटर के भीतर कोई शायिका नहीं लगाई जाएगी; और

(अ) कोई भी शायिका उस स्थान या उसके किसी भाग में नहीं लगाई जाएगी, जो निर्दिष्ट प्राधिकारी की राय में शायिका श्रेणी के यात्रियों के ठहरने के लिए अनुपयुक्त हो।

(2) किसी जलयान में उपलब्ध कराई गई शायिकाओं की कुल संख्या इस प्रकार होगी कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी स्थान पर ले जाने वाले यात्रियों की संख्या 3.06 घन मीटर से विभाजित करने घन मीटर में उस स्थान के सकल आयतन से अधिक न हो।

23. यात्री सीटें

(1) जहां यात्रा 24 घंटे से अधिक की नहीं है, यात्रियों को उन स्थानों पर समायोजित किया जा सकता है जहां केवल बैठने का स्थान ही उपलब्ध कराया गया है।

(2) प्रत्येक यात्री को, (3) और (4) में दी गई छूटों के अध्यक्षीन, एक सीट प्रदान की जाएगी।

(3) 30 मिनट या उससे कम की छोटी यात्राओं पर चलने वाले अंतर्देशीय जलयानों से केवल 50% यात्रियों के बैठने की अपेक्षा की जाती है, बशर्ते कि समस्त सामान्य प्रचालन में गति और त्वरण खड़े होने में कठिनाई उत्पन्न न करें।

(4) सभी सीटों और फर्नीचर को सामान्य रूप से फिक्स किया जाएगा और किसी भी चल फर्नीचर की अनुमति केवल तभी दी जा सकेगी, जब वह खतरा ना बने और आपात स्थिति में बचाव में बाधा न उत्पन्न करे।

स्पष्टीकरण : इस उप-नियम के प्रयोजन के लिए, बैठने की व्यवस्था वैयक्तिक सीट अथवा बेंच प्रकार की सीट के रूप में हो सकती है।

(5) यदि किसी विशेष प्रचालन अथवा कार्य को समायोजित करने के लिए सीटों को हटाया जाता है, तो यात्रियों की संख्या को तदनुसार कम किया जाएगा।

24. न्यूनतम सीट आयाम

(1) न्यूनतम 750 मिमी की चौड़ाई उपलब्ध कराए जाने के साथ, अभिगम्यता, एकत्रण और निकास के लिए उपयुक्त स्पष्ट स्थान की अनुमति दी जाएगी।

(2) बैठे हुए यात्रियों की स्थान सुविधा के लिए प्रत्येक सीट के सामने 450 मिमी की क्षैतिज रूप से मापित लम्बाई की अनुमति दी जाएगी।

(3) जब अभिगम के लिए किसी सीट के सामने किसी स्थान की आवश्यकता होती है, तो अभिगम की चौड़ाई के मापन के समय सीट के सामने के 230 मिमी के भीतर के स्थान को हिसाब में नहीं लिया जाएगा।

(4) किसी सीट के बैकरेस्ट के किसी भाग और उसके सामने वाली सीट के बैकरेस्ट के बीच दूरी 1600 मिमी से अन्यून होगी।

(5) किसी सीट के बैकरेस्ट के सामने कम से कम 680 मिमी का एक स्पष्ट स्थान होगा जिसका मापन प्रत्येक सीट के केंद्र से किया गया होगा और उस सीट के किसी भी हिस्से के सामने कम से कम 310 मिमी का एक स्पष्ट स्थान होगा।

(6) एक किसी अनुप्रस्थ सीट के सामने के किसी भी हिस्से और उसके सामने वाली किसी अन्य सीट के किसी हिस्से के बीच में कम से कम 620 मिमी का एक स्पष्ट स्थान होना चाहिए।

(7) बेंच सीटिंग द्वारा समायोजित यात्रियों की संख्या प्रत्येक निरंतर स्थिर सीट की मीटर में लंबाई को 0.45 से विभाजित करके निकाली जाती है, यह मापन सीटों के भीतरी किनारे के साथ किया जा रहा है और बैठने के लिए उत्प्लावक उपकरण का उपयोग किया जा सकता है बशर्ते कि ऊपर निर्दिष्ट बैठने के आयामों की पूर्ति की जाती है।

25. यात्री स्थान सुविधा के लिए अनुपयुक्त स्थान

(1) यात्रियों के लिए स्थान सुविधा निम्नलिखित स्थानों में से किसी में भी प्रदान नहीं की जाएगी, अर्थात् -

(क) कोई डेक जो जलरेखा/बल्कहेड डेक से तत्काल निम्न वाले डेक से नीचे है;

(ख) डेक के बीच का कोई भाग जहां स्पष्ट हेडरूम 1.90 मीटर से कम है;

(ग) संघट्ट बल्कहेड का अग्रभाग अथवा उसका अग्रगामी विस्तार;

(2) वर्षा के मौसम के दौरान, मौसम डेक पर किसी भी स्थान का मापन यात्री स्थान सुविधा के लिए उपलब्ध स्थान के रूप में नहीं किया जाएगा सिवाए इसके कि उसका मापन वातन स्थान के रूप में ही किया जा सकेगा।

26. प्रकाश-व्यवस्था और संवातन

(1) समस्त यात्री स्थान सुविधा स्थल दिन और रात, दोनों ही के दौरान पर्याप्त रूप से संवातित और प्रकाशमय होंगे।

(2) पेंट्री, वस्त्र सुखाने के कक्ष, लॉकर, भंडार कक्ष, स्वच्छता स्थान सुविधा, यात्री मार्गों के अलावा, स्थान सुविधा के हर भाग प्राकृतिक प्रकाश से उचित रूप से प्रकाशमान होगा।

(3) जहां भी संभव हो, प्राकृतिक प्रकाश-व्यवस्था प्रदान की जाए। यदि जलयान में किसी स्थान पर, समुचित प्राकृतिक प्रकाश-व्यवस्था प्रदान करना अव्यावहारिक है, तो ऐसी प्रकाश व्यवस्था की आवश्यकता नहीं होगी, यदि उस स्थान पर पर्याप्त विद्युत प्रकाश-व्यवस्था हमेशा उपलब्ध कराई गई है।

(4) प्रत्येक नए यात्री जलयान में यात्री स्थान सुविधा के संलग्न हिस्सों को एक ऐसी प्रणाली द्वारा संवातित किया जाएगा, जो उसके भीतर हवा को शुद्धता की स्थिति में बनाए रखेगी जो यात्रियों के स्वास्थ्य और आराम के लिए पर्याप्त होगी और ऐसी प्रणाली इस प्रकार नियंत्रित होने में सक्षम होगी जिससे उस मौसम और जलवायु की सभी परिस्थितियों में हवा की आवाजाही की पर्याप्तता सुनिश्चित की जा सकेगी जिससे उन यात्रियों के दौरान उस जलयान के गुजरने की संभावना है, जिन पर उसे ले जाए जाने का आशय है और यह किसी साइड स्कटल, स्काइलाइट, कम्पैनियन, दरवाजे या एपर्चर के लिए अतिरिक्त होगा जिनका आशय केवल संवातन ही के लिए नहीं हैं।

(5) प्रत्येक यात्री जलयान में, न्यूनतम के रूप में, स्थान सुविधा के संलग्न स्थानों में पर्याप्त पंखे उपलब्ध कराए जाएंगे।

(6) जहां वातानुकूलन प्रणाली उपलब्ध कराई गई है, चाहे वह केंद्रीयकृत प्रकार की हो अथवा वैयक्तिक यूनिट प्रकार की, इसे इस प्रकार डिजाइन किया जाना चाहिए कि यह -

(क) वायु का तापमान 50 प्रतिशत सापेक्ष आर्द्रता के साथ 28°सेल्सियस के संतोषजनक स्तर पर बनाए रखें जब परिवेश का तापमान 70 प्रतिशत सापेक्ष आर्द्रता के साथ 35° सेल्सियस हो;

(ख) किसी खान-पान कक्ष या मनोरंजन कक्ष में प्रति घंटे आठ वायु परिवर्तन और किसी अन्य कक्ष में छह वायु परिवर्तन सुनिश्चित करे, यात्रा के दौरान किसी भी स्तर पर पुनः परिचालित वायु की मात्रा 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

27. मच्छरों और चूहों से सुरक्षा

(1) गैली, भंडारगृहों और खुले डेक पर मनोरंजन स्थलों के अलावा यात्री स्थान सुविधा स्थलों में मच्छरों के प्रवेश से सुरक्षा प्रदान की जाएगी।

- (2) इस तरह की सुरक्षा जंग-रोधी तार या अन्य उपयुक्त सामग्री की स्क्रीनों के माध्यम से प्रदान की जाएगी, जो खुले डेक की ओर स्थित सभी साइड स्कटल्स, प्राकृतिक वेंटिलेटर, स्काईलाइट्स और दरवाजों पर लगाई जाएगी।
- (3) सुविधा स्थान स्थलों में प्रभावी मूषक-रोधी उपाय किए जाएंगे।

28. वातन स्थान

जहां यात्रा की अवधि 4 घंटे से अधिक है, सभी यात्रियों के लिए 0.5 वर्ग मीटर प्रति यात्री के पैमाने पर वातन स्थान उपलब्ध कराया जाएगा और ऐसे वातन स्थान को स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जाएगा।

29. स्थानों का चिह्नांकन

यात्री स्थान सुविधा के लिए आशयित किसी स्थान को उस स्थान के प्रवेश पर या उसके निकट स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जाना चाहिए, जिसमें ऐसे यात्रियों की संख्या को दर्शाया गया हो, जिन्हें बैठाने के लिए वह स्थान निर्दिष्ट किया गया है।

30. चिकित्सा स्टोरों का प्रावधान

100 से अधिक यात्रियों को ले जाने वाले और 24 घंटे से अधिक की यात्राओं पर जाने वाले प्रत्येक यात्री जलयान में अभिहित प्राधिकारी द्वारा यथानिर्दिष्ट दवाएं, चिकित्सा सामान कीटाणुनाशक और सर्जिकल उपकरण रखे जाएंगे।

31. शौचालय सुविधाएं

(1) केवल बैठने की जगह रखने वाले जलयानों के लिए, उसमें बैठे सभी यात्रियों के उपयोग के लिए शौचालय की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए, और शौचालयों की संख्या निम्नानुसार होगी;

(क) 50 यात्रियों तक - 1 वाटर क्लोसेट (डब्ल्यूसी)

(ख) 100 यात्रियों तक - 2 डब्ल्यूसी

(ग) प्रत्येक अतिरिक्त 100 यात्रियों, अथवा उसके भाग के लिए - 2 डब्ल्यूसी अथवा 1 डब्ल्यूसी और 1 मूत्रालय

पुरुष और महिला यात्रियों के अनन्य प्रयोग के लिए अलग-अलग शौचालयों को अलग-अलग रखा जाएगा और उनमें पूरी तरह से अलग प्रवेश द्वार लगाए जाएंगे और सभी शौचालयों को यह इंगित करने के लिए स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जाएगा कि वे पुरुष यात्रियों के उपयोग के लिए आशयित हैं या महिला यात्रियों के लिए।

(2) शयन स्थान युक्त जलयानों के लिए, पहले सौ यात्रियों के लिए चार शौचालय और प्रत्येक अतिरिक्त पचास यात्रियों के लिए दो शौचालय उपलब्ध कराए जाएंगे।

(3) उप-नियम (1) में उपबंधित अपेक्षाओं में खुले अंतर्देशीय जलयानों, और 30 मिनट से कम अवधि की यात्राओं वाले जलयानों डील दी जा सकेगी, बशर्ते कि डब्ल्यूसी आरोहण/अवरोहण स्थानों के आसपास उपलब्ध कराए गए हों।

(4) सभी स्वच्छता संबंधी सुविधाएं पर्याप्त रूप से संवातित होंगी।

32. हाथ-मुंह धोने के स्थान और स्नानागार

(1) ऐसी यात्रा करने वाले यात्री जलयानों में, जिसकी अवधि 48 घंटे से अधिक है, यात्रियों के अनन्य उपयोग के लिए निम्नलिखित पैमानों पर हाथ-मुंह धोने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, अर्थात्: -

(क) प्रत्येक 25 यात्रियों के लिए बहते पानी के साथ एक वॉश-बेसिन या सिंक; और

(ख) प्रत्येक 25 यात्रियों या उसके भाग के लिए स्नान के लिए एक वाटर रैप या शॉवर और कम-से-कम एक नल या शॉवर भी बहते गर्म पानी की आपूर्ति के लिए लगाया जाएगा और उसे इस तरह से प्रचालित किया जाएगा ताकि त्वचा को जलने से बचा जा सके।

(2) ऐसी यात्रा करने वाले प्रत्येक यात्री जलयान में, जिसकी अवधि सामान्य परिस्थितियों में 48 घंटे से कम है, लेकिन 24 घंटे से कम नहीं है, निर्दिष्ट दर से आधे पर वॉश-बेसिन, नल या शॉवर उपलब्ध कराया जाएगा।

(3) ऐसी यात्रा करने वाले प्रत्येक यात्री जलयान में, जिसकी अवधि 24 घंटे से अधिक नहीं है, में पुरुष यात्रियों के लिए एक और महिला यात्रियों के लिए एक हाथ-मुंह धोने का स्थान उपलब्ध कराया जाएगा; और ऐसा प्रत्येक वॉश-बेसिन या सिंक बहते ठंडे ताजे पानी के साथ कार्य करेगा।

स्पष्टीकरण : जहां यात्राएं 12 घंटे की अवधि से अधिक हो जाती हैं, प्रत्येक हाथ-मुंह धोने के स्थान पर ताजा बहता पानी उपलब्ध कराया जाएगा।

(4) कम-से-कम एक हाथ-मुंह धोने के स्थान महिला यात्रियों के अनन्य प्रयोग के लिए अलग से रखा जाएगा।

33. भोजन, ईंधन और जल की आपूर्ति

(1) 6 घंटे से अधिक की यात्रा पर जाने वाले प्रत्येक यात्री जलयान में यात्रियों के लिए भोजन, पेय-पदार्थ और पीने के पानी के लिए प्रावधान होगा।

(2) किसी भी स्थिति में, यात्री को जलयान में भोजन पकाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(3) यात्रियों को सभी प्रयोजनों के लिए प्रतिदिन 22.5 लीटर से अन्यून ताजा पानी की आपूर्ति की जाएगी जिसमें पीने के लिए आवश्यक मात्रा में भी शामिल है।

(4) ताजा पानी डबल बॉटम टैंकों में या डबल बॉटम्स के ऊपर लगे अन्य टैंकों या इस प्रयोजन के लिए लगे किन्हीं अन्य टैंकों में ले जाया जा सकता है।

(5) ताजे पानी की सभी टंकियों को 12 महीने से अनधिक के अंतराल पर साफ किया जाएगा, सीमेंट वॉश की जाएगी (अथवा, यदि बिटुमिनस प्लास्टिक या अन्य प्रॉपराइटरी कम्पोजीशन के साथ कोट की गई हैं, जहां आवश्यक हो, फिर से कोट किया जाएगा) और संवातित और कीटाणुरहित किया जाएगा और इसके अलावा, टैंकों को छह महीने के अंतराल पर फिर से भरने से पहले अच्छी तरह से खाली किया जाएगा, उन्हें पानी से साफ किया जाएगा और कीटाणुरहित बनाया जाएगा।

स्पष्टीकरण: इस उप-नियम के तहत यथाउपबंधित कीटाणुशोधन, पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी या अभिहित प्राधिकारी द्वारा नियुक्त अधिकारी के पर्यवेक्षण में किया जाएगा।

(6) यात्रियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक डेक पर, यात्री सुविधा स्थानों में उपयुक्त रूप से वितरित ठंडे, ताजा और पीनेयोग्य पानी की नियमित आपूर्ति के लिए कुशल साधन उपलब्ध कराए जाएंगे।

34. गार्ड रेल और धातुस्तंभ

(1) यात्रियों को ले जाने वाले सभी यात्री जलयानों पर उस प्रत्येक डेक पर बुल्वर्क या गार्ड रेल उपलब्ध कराया जाएगा, जिस तक यात्रियों की पहुंच है।

(2) ऐसे बुल्वर्क या गार्ड रेल 100 सेंटीमीटर से कम ऊंचे नहीं होंगे, जिनका मापन डेक के शीर्ष से सबसे ऊपर की रेल के शीर्ष तक मापा जाएगा और जब तक मजबूत जाल प्रदान नहीं किया जाता है, तब तक रेल 230 मिलीमीटर से अधिक अलग नहीं होगी।

(3) जहां बुल्वर्क नहीं लगाए गए हैं, यात्रियों की सुरक्षा के लिए फ्रीडिंग पोर्टों पर उपयुक्त ग्रिड लगाए जाएंगे।

[फा. सं. आईडब्ल्यूटी-11011/91/2021-आईडब्ल्यूटी]

सुनील कुमार सिंह, सलाहकार (सांख्यिकी)

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd February, 2022

G.S.R. 145(E).—The draft of the Inland Vessels [Crew and Passenger Accommodation] Rules 2022, which the Central Government proposes to make, in the exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 106 of the Inland Vessels Act of 2021(24 of 2021), is hereby published for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration after thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Official Gazette are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, to these draft rules may be sent to the Director (IWT), Ministry of Ports, Shipping & Waterways, Room No. 439, Transport Bhawan, 1-Parliament Street, New Delhi-110001, or by email at abhay.sarode@gov.in and uttam.mishra27@gov.in within the period specified above;

The objections or suggestions which may be received from any person concerning the said draft rules, within the period so specified will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES**1. Short Title Commencement**

- (1) These Rules shall be called the Inland Vessels [Crew and Passenger Accommodation] Rules 2022.
- (2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. Definitions

- (1) In these rules, unless the context otherwise requires,—
 - (a) “Act” means the Inland Vessels Act of 2021(24 of 2021);
 - (b) “Existing vessel” or “existing inland vessel” means any inland vessel which is not any new inland vessel that falls within the ambit of the definition provided under clause (e) of sub-rule (1) of Rule 3;
 - (c) “inland vessel” means any mechanically propelled inland vessels as defined under section 3(y) of the Act;
 - (d) “Major conversion or modification” means any of the following;
 - i) Change in Gross Tonnage of the vessel by more than ten percent
 - ii) Change of vessel type:
 - iii) Change of propulsion system/ main engines/ type of fuel
 - (e) “New inland vessel” means any inland vessel whose keel is laid or which is at a similar stage of construction on or after the date of coming in to force of the Rules;
 - (f) “Gross Tonnage (GT)” of a vessel is the GT calculated as per the International Tonnage Convention 1969

(2) Words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Inland Vessels: -

For the purpose of these rules, Inland vessels shall be classified as per the following categories: -

- (1) Category –“A” The vessels which fall in this category are decked vessels of any of the following types.
 - (a) Vessels that are more than 24 m in length
 - (b) Vessels or Ro-Ro passenger ferries that carry more than 50 passengers on board.
 - (c) All vessels equipped for towing other vessels, having a bollard pull capacity exceeding 10t.tonnes.
 - (d) Vessels designed and constructed to carry petroleum goods, chemicals or liquefied gases in bulk as cargo,
 - (e) Vessels carrying dangerous goods.
 - (f) Vessels of 300 GT and above

Category A vessels shall be designed, constructed and maintained under the survey and requirements of a classification society, who is a member of the International Association of Classification Societies (IACS),

- (2) Category ‘B’ vessels not covered under Category A or category C.

Category B vessels shall be designed, constructed and maintained according to the survey of a classification society, which is a member of the International Association of Classification Societies (IACS)

OR designed and constructed under the survey of a classification society, which is a member of the International Association of Classification Societies (IACS) and maintained under the survey of the Designated Authority

(3) Category 'C' Vessels of less than 10 metres in length.

Category C vessels shall be designed, constructed and maintained under the survey of a classification society, which is a member of the International Association of Classification Societies and standards prescribed for design, construction and survey considered appropriate by the Designated Authority and maintained under the survey of the Designated Authority

4. Threshold of Compliance:

(1) All existing inland vessels shall comply with the requirements existing prior to coming into force of these rules;

(2) The owner/operator and master of the new inland vessels, shall ensure that the vessel is constructed, maintained and operated under the requirements related to standards for the accommodation of crew and passengers, as provided under these rules and the vessel is suitable for its intended service.

(3) No new inland vessel shall be issued with the certificate of survey under the Act and the Inland Vessels (Survey and Certification) Rules, 2022, unless such vessel complies with the standards for the accommodation of crew and passengers including the physical design of the inland vessel or facilities that the inland vessel must carry, or those which are operational or procedural in nature, which the inland vessel is required to comply with, under these Rules

(4) Notwithstanding sub rule (1) to (3) above, the State Government may apply requirements in addition (or exempt) to any category of vessels.

(5) State Governments may exempt any inland vessel that embodies features of a novel kind from any of the provisions of these Rules, the application of which might seriously impede research into development of such features and their incorporation in vessels and any such vessel shall, however, comply with such requirements that, in the opinion of the Designated Authority, achieve a standard which is equivalent or higher than prescribed by these Rules.

5. Application

Unless specified otherwise in these Rules, this chapter shall apply to all "Category-A" vessels of 300 GT and above

6. General requirements of accommodation

(1) Inland vessels shall have accommodation for the persons lodging habitually on board, and at least for the minimum crew.

(2) Accommodation shall be so designed, arranged and fitted out as to meet the health, safety and comfort needs of those on board and such accommodation shall be of safe and easy access and adequately insulated against heat and cold.

(2) For the purposes of sub-rule (2) above, the crew accommodation and the means of access thereto and egress there from shall be so arranged and constructed to ensure;

(a) The protection of the crew against injury to the greatest practicable extent;

(b) The protection of the crew accommodation against unfavourable environmental conditions;

(c) The exclusion from the crew accommodation of effluvia originating in other spaces in the vessel; and

(d) The exclusion from the crew accommodation, to the greatest practicable extent, of noise originating in other spaces in the vessel.

7. Special design requirements for accommodation

(1) Every part of the crew accommodation, other than pantries, laundries drying rooms, lockers, storerooms sanitary accommodation, passageways, offices, shall be properly lighted by natural light and the community living quarters shall, as far as possible, provide a way out.

Explanation: If in any space in the vessel, it is impracticable to provide proper natural lighting, such lighting shall not be required, if adequate electric lighting is always available in that space.

(2) Mess rooms and sleeping cabins shall have;

(a) at least two exits which are as far apart from each other as possible and which serve as escape routes;

(b) one of the exits required as per (a) above may be designed as an emergency exit

(3) The requirement of exits under sub-rule(2) above shall not apply to rooms with an exit leading directly onto the deck or into a corridor which serves as an escape route. However, large rooms such as dormitories should be provided with two exits. Emergency exits, which may include skylights and windows, shall have a clear opening of at least 0.36 square metre and a shortest side not less than 0.50 m and permit rapid evacuation in an emergency.

The insulation and cladding of escape routes shall be made of flame-retardant materials and the usability of escape routes shall be guaranteed at all times by appropriate means such as ladders or separately attached rungs.

(4) The floor area of Mess rooms shall be not less than 0.7 square meter per person. The number of persons to be taken into account for this may be limited to 70% of the total crew on board.

(5) The floor area of sleeping cabins shall be at least 2.5 square metres per person in general. For sleeping cabins accommodating more than one person, the minimum floor area may be reduced to 1.75 square metres per person.

(6) Doors shall have an opening with a clear width of at least 0.60 m. and the prescribed height may be achieved by means of sliding or hinged covers or flaps.

Explanation: Doors shall generally open to the outside, except for cabin doors opening into a corridor, and it shall be possible to open them from either side

(7) Stairways shall be permanently fixed and shall be designed such that:

- a) they are at least 0.60 m wide;
- b) the tread is at least 0.15 m deep;
- c) the steps are non-slip; and
- d) stairways with more than three steps are fitted with at least one handrail or handle.

(8) Pipes carrying dangerous gases or liquids, and particularly those under such a high pressure that a leak could pose a danger to persons, shall not be located in the accommodation spaces or in corridors leading to the accommodation spaces and this does not apply to steam pipes and hydraulic system pipes, provided they are fitted in metal sleeves.

8. Sanitary Installations

(1) At least the following sanitary installations shall be provided on vessels:

- (a) one toilet per eight crew members; it shall be possible to ventilate these with fresh air;
- (b) one washbasin per four crew members;
- (c) one shower or bath per eight crew members;

9. Galleys

(1) For vessels having persons living onboard, a galley shall be provided for the preparation of food. Instead of a galley, a small pantry with refrigerator and electric heater may be sufficient for vessels designated for operation on short voyages with arrangements for supply of food from outside.

(2) Space and arrangements shall be provided for the storage of dry provisions for the crew having regard to the maximum period likely to elapse between successive replenishments of stores and to the maximum number of persons for whom food is to be served.

(3) Means shall be provided to store perishable provisions and box freezers/cold rooms of adequate capacity shall be provided for this purpose.

10. Supply of fresh water and drinking water

(1) There shall be available a supply of fresh water sufficient for the wash basins, baths and showers fitted in compliance with these Rules.

(2) The supply shall be provided from tanks of a capacity of at least 50 litres for each member of the crew for each day likely to elapse between successive replenishments of the water or by other equally efficient means.

(3) There shall be a supply of drinking water in the crew accommodation, provided from tanks of an adequate capacity for this purpose, having due regard to the number of persons in the crew and time likely to elapse between successive replenishments of the water and other efficient means may be accepted in lieu of this arrangement

(4) Potable water installations shall:

- (a) on their inner surfaces be made of a material which resists corrosion and poses no physiological danger;

- (b) be free of pipe sections where a regular flow of water is not guaranteed, and
- (c) be protected against excessive heating.

11. Air Conditioning and ventilation

- (1) Crew accommodation areas shall be adequately ventilated.
- (2) It shall be possible to ventilate the enclosed parts of crew accommodation adequately even when the doors are closed and the ventilation shall ensure adequate air circulation in all climatic conditions.
- (3) The accommodation shall be so designed and arranged as to prevent as far as possible the entry of foul air from other areas of the vessel such as engine rooms or holds; where forced-air ventilation is used, the intake vents shall be so placed as to satisfy the above requirements.
- (4) Where provided, the air conditioning system, of a centralized type shall be so designed as to—
 - (a) maintain the air at a satisfactory temperature of 28° with 50 per cent relative humidity when ambient temp is 35°C with 70 per cent relative humidity;
 - (b) ensure eight air changes per hour in any mess room or recreation room and six air changes in any other room, the amount of re-circulated air not exceeding 50 per cent at any stage, while on voyage;

12. Other accommodation installations

Each crew member living on board shall have an individual berth and an individual clothes locker fitted with a lock.

13. Construction of bulkheads and panelling

- (1) All bulkheads enclosing or within any part of the crew accommodation shall be properly constructed of steel or other suitable material and if the bulkheads are exposed to the weather, they shall be of watertight construction, and means of closure shall be provided for all opening in such bulkheads so as to enable them to be made weather tight.
- (2) If the partitions/bulkheads within the accommodation spaces are not constructed of steel then the paneling/ceiling used in the accommodation shall be made of non-combustible material of an approved quality.
- (3) Any bulkhead which separates any part of the crew accommodation (other than a recreation deck space) from a space used as –
 - (a) An oil fuel bunker;
 - (b) A cargo or machinery space;
 - (c) A lamp room or paint room;
 - (d) A store room not forming part of the crew accommodation (other than a dry provision store room);
 - (e) A chain locker; or
 - (f) A cofferdam;

shall be gastight, and shall be watertight where necessary to protect the crew accommodation.

- (4) Any inside panelling in the crew accommodation shall be constructed of a suitable material with a surface, which can be easily kept clean.
- (5) Neither bulkheads nor inside panelling shall be constructed with tongued and grooved boarding or in a manner or with material likely to harbour vermin.

14. Overhead decks and flooring

- (1) Every overhead deck exposed to the weather shall be constructed of steel or equivalent material.
- (2) Every deck which forms the floor in the crew accommodation shall be properly constructed and shall have a surface which provides a good foothold and is capable of being easily kept clean.
- (3) The floor covering shall be impervious to water and, if the deck is situated on the top of oil tank, the covering shall be impervious to oil.

15. Medical Cabinet

- (1) Every vessel shall, as a minimum carry the following medical appliances for the use of crew:
 - (a) One number of first aid box not less than that prescribed for a life boat;
 - (b) One number of stretcher for easy evacuation of casualties.

16. Protection from Mosquitoes and rats

- (1) The crew accommodation, other than galleys, storerooms and recreation spaces on the open deck, shall be provided with protection against the admission of mosquitoes.
- (2) Such protection shall be provided by means of screens of rust proof wire or other suitable material which shall be fitted to all side scuttles, natural ventilators, skylights and doors leading to the open deck OR by providing mosquito nets to individual crew members..
- (3) Effective rat proofing measures are to be provided

17. Application

- (1) The provisions of this part shall apply to all Category A passenger vessels, as defined in Rule 4.
- (2) These rules may be applied to Category B passenger vessels as defined in the said Rules, in so far as considered practicable and reasonable by the Designated Authority.

18. Maximum Passenger Numbers

The number of passengers allowed onboard shall be as determined to satisfy the:

- (a) Stability requirements given in Inland Waterways (Design and Construction Rules), 20xx
- (b) Clear deck area requirements given in Rule 20 of these rules
- (c) Passenger Accommodation requirements given in these rules .

19. Allowable Passenger Spaces

- (1) Only one passenger deck is permitted below the waterline/bulkhead deck. This shall be a single space.

Passenger spaces do not include:

- (a) Toilets
- (b) Companionways/stairways/means of escape and any passageway less than 750mm wide.
- (c) Areas permanently occupied by safety equipment and other vessel related operational equipment.
- (d) Areas designed for the safe operation of the vessel such as
 - (i) Machinery/navigation/mooring.
 - (ii) Enclosed vehicle carrying spaces provided on Ro-Ro vessels.
 - (iii) Open deck vehicle carrying spaces.

- (2) In assessing the clear area for enclosed spaces, the space occupied by tables and permanent fittings shall be deducted.

- (3) For open deck spaces the clear area shall be measured between points within which the surveyor considers the area fit for the safe and proper accommodation of passengers.

- (4) Clear area means the area which remains after that occupied by all encumbrances, such as hatchways, skylights, companionways, casings, ventilators, navigating space, luggage lockers and lifesaving appliances carried on the open deck or in lockers has been deducted.

- (5) The decks on which passengers are accommodated, shall form part of the permanent structure of the vessel and shall be of adequate strength.

Explanation1: If any deck is constructed of wood, it shall be properly laid and caulked and shall be continuous from side to side of the space in which the passengers are carried.

- (6) Lamp rooms, paint rooms and spaces used for the storage of inflammable oils shall not have a direct access to passenger accommodation by doors or passenger ways or be so situated as to constitute a danger of passengers and passenger shall not be accommodated in a space adjoining an oil fuel bunker unless the space is separated from the bunker by an additional steel vapour proof bulk ahead so arranged that the space between the two bulkheads is well ventilated and accessible.

- (7) For the purpose of sub-rule (8) passenger accommodation may be situated on a deck forming the crown of an oil fuel space if-

- (a) the deck is oil-tight.
- (b) passenger space is well ventilated;

- (c) no manhole or other opening to oil fuel space exists in passenger spaces; and
- (d) flooring of passenger space is of a material and of a thickness approved by the Designated Authority for the purpose.

(8) Passenger accommodation shall be separated from cargo spaces, store rooms, lamp rooms and paint rooms and other space used for storage of inflammable oils by means of gas-tight steel bulkheads and decks.

20. Clear Deck Areas

- (1) Where only seating accommodation is provided according to Rule 23, the number of passengers allowed for a passenger space I shall be determined by dividing the clear area excluding passages in square metres by 0.60.
- (2) Where passengers are allowed access to the tops of deckhouses, the number of passengers allowed shall be determined by dividing the clear deck area excluding passages in square metres by 0.85.

21. Provision of Cabin Berths

- (1) Where the duration of voyage is more than 24 hours, proper sleeping berths shall be provided.
- (2) The number of fixed berths properly constructed and fitted shall determine the number of passengers that may be allowed to be carried in cabin class accommodation provided in any vessel.
- (3) No cabin accommodating cabin class passengers shall contain more than eight such berths.
- (4) There shall not be more than two tiers of berths in any cabin and there shall be provided not less than 3.35 square metres of clear space for each cabin class passenger and where small berths are fitted for children, the total space allocated shall be 3.5 square metre for every pair of such berths.

22. Provision of bunks

- (1) Where bunk spaces are provided for the accommodation of passengers, in lieu of cabin berths, such bunks shall comply with the following requirements;-
 - (a) the size of a bunk shall not be less than 1.90 meters long and 0.70 meters wide;
 - (b) every bunk shall give direct access to a passage-way and the passage-ways shall be so arranged as to give ready access to an escape route;
 - (c) the width of passage-ways shall be not less than 0.70 metre;
 - (d) bunks may be fitted in single or double tiers; the following requirements shall be complied with, namely:-
 - (i) the distance between the deck and the base of the lower bunk shall not be less than 0.45 meter;
 - (ii) the distance between the base of the lower bunk and the base of the upper bunk shall not be less than 0.90 meter;
 - (iii) the distance between the base of the upper bunk and the underside of any overhead obstruction shall not be less than 0.90 meter; and
 - (iv) suitable means shall be provided for access to upper bunks.
 - (e) bunks shall be fitted with leeboards or lee rails and where bunks are fitted side by side suitable means of separation shall be provided;
 - (f) bunks and their fittings shall be constructed of metal and shall be of type approved by the Designated authority
 - (g) no bunk shall be fitted within 0.90 metre of any hatch opening except where such opening are trunked or otherwise protected to the satisfaction of the Designated Authority.
 - (h) no bunk shall be fitted within 0.60 metre of the face of the frames, sparring or linings at a vessel's side;
 - (i) no bunk shall be fitted within 0.75 metre of the entrance of any stairway or ladder way, wash place, lavatory or battery or latrines or of any water tap or fire hydrant; and
 - (j) no bunk shall be fitted in space or part there of which in the opinion of the Designated Authority, is unsuitable for accommodation of bunk class passengers.
- (2) Total number of bunks provided in any vessel shall be such as to ensure that the number of a passengers carried in a space does not exceed the gross volume of that space in cubic metres divided by 3.06 cubic metres.

23. Passenger Seating

- (1) Where the voyage is of not more than 24 hours duration, passengers may be accommodated in spaces where only seating accommodation is provided.

- (2) Every passenger shall be provided with a seat, subject to the concessions given in (3) and (4)
- (3) Inland vessels operating on short voyages of 30 minutes or less need only provide seating for 50 % of passengers, provided the motions and accelerations in all normal operation would not make standing difficult.
- (4) All seating and furniture shall normally be fixed and any moveable furniture may only be permitted provided this would not be a hazard or impede escape in the event of an emergency.

Explanation: For the purpose of this sub-rule, seating may be individual seats or bench type seating.

- (5) If seating is removed to accommodate a specific operation or function, the number of passengers shall be reduced accordingly.

24. Minimum seat dimensions

- (1) Suitable clear space shall be allowed for access, assembly and escape, with a minimum width of 750mm being provided.
- (2) A length of 450mm measured horizontally along the front of each seat shall be allowed for the accommodation of seated passengers.
- (3) When any space in front of a seat is required for access, the space within 230 mm of the front of the seat shall not be taken into account when measuring the width of the access.
- (4) The distance between any part of the back rest of any seat and the back rest of the seat facing it, shall not be less than 1600mm.
- (5) There shall be a clear space of at least 680mm in front of the backrest of any seat measured from the centre of each seat and a clear space of at least 310mm in front of any part of that seat.
- (6) There shall be a clear space of at least 620mm between any part of the front of a transverse seat, and any part of any other seat which faces it.
- (7) The number of passengers accommodated by bench seating is found by dividing the length in metres of each continuous fixed seat by 0.45, the measurements being taken along the inner edge of the seats and buoyant apparatus may be used for seating provided the seating dimensions specified above are satisfied.

25. Spaces unfit for passenger accommodation

- (1) Accommodation for passengers shall not be provided in any of the following spaces, namely-
- (a) any deck lower than the one immediately below the waterline/bulkhead deck;
 - (b) any part of the between deck where the clear headroom is less than 1.90 metres;
 - (c) forward of the collision bulkhead or the upward extension thereof;
- (2) During rainy season, no space on the weather deck shall be measured as being available for passenger accommodation except that it may be measured as airing space.

26. Lighting and Ventilation

- (1) All passenger accommodation spaces shall be efficiently ventilated and lighted during both day and night.
- (2) Every part of the accommodation, other than pantries, laundries drying rooms, lockers, storerooms sanitary accommodation, passageways, shall be properly lighted by natural light.
- (3) Wherever possible, natural lighting shall be provided. If in any space in the vessel, it is impracticable to provide proper natural lighting, such lighting shall not be required if adequate electric lighting is always available in that space.
- (4) In every new passenger vessel the enclosed parts of the Passenger accommodation shall be ventilated by a system, which will maintain the air therein in a state of purity adequate for the health and comfort of the passengers and such system shall be capable of being so controlled as to ensure a sufficiency of air movement under all conditions of weather and climate to which the vessel is likely to be subjected, during the voyages on which she is intended to be engaged and shall be additional to any side scuttles, skylights, companions, doors or other apertures not intended solely for ventilation.
- (5) In every passenger vessel, as a minimum, adequate fans shall be provided in the enclosed spaces of the accommodation.
- (6) Where provided the air conditioning system, whether of a centralized type or individual unit type shall be so designed as to—

(a) maintain the air at a satisfactory temperature of 28° with 50 per cent relative humidity when ambient temp is 35°C with 70 per cent relative humidity;

(b) ensure eight air changes per hour in any mess room or recreation room and six air changes in any other room, the amount of re-circulated air not exceeding 50 per cent at any stage, while on voyage;

27. Protection from Mosquitoes and rats.

(1) Passenger accommodation spaces, other than galleys, storerooms and recreation spaces on the open deck, shall be provided with protection against the admission of mosquitoes.

(2) Such protection shall be provided by means of screens of rust proof wire or other suitable material which shall be fitted to all side scuttles, natural ventilators, skylights and doors leading to the open deck.

(3) Effective rat proofing measures are to be provided in accommodation spaces.

28. Airing space

Where the duration of voyage exceeds 4 hours, airing space shall be provided for all passengers at the scale of 0.5 sq. m per passenger and such airing space shall be marked conspicuously.

29. Marking of spaces

Any space intended for the accommodation of passengers shall be conspicuously marked at or near the entrance to that space indicating the number of such passengers the space is certified to accommodate.

30. Provision of Medical Stores

Every passenger vessel carrying more than 100 passengers and on voyages of more than 24 hours shall carry medicine, medical stores disinfectants, and surgical appliances as prescribed by the Designated Authority.

31. Toilet facilities

(1) For vessels provided with seating accommodation only, toilet facilities must be provided for the use of all seated passengers, and the number of toilets shall be as follows;

(a) Up to 50 passengers 1 Water Closets (WCs)

(b) Up to 100 passengers 2 WCs

(c) For each additional 100 passenger, or part thereof 2 WCs or 1 WC and 1 urinal

Separate toilets shall be set apart for the exclusive use for male and female passengers and fitted with entirely separate entrances and all toilets shall be clearly marked and lighted to indicate whether they are intended for use of male or female passengers.

(2) For vessels provided with sleeping accommodation, four toilets shall be provided for the first hundred passengers and two toilets for every additional fifty passengers.

(3) The requirements provided in sub-rule (1) may be relaxed for open inland vessels, and those vessels engaged on voyages of less than 30 minutes duration, provided that WCs are provided in the vicinity of embarkation/disembarkation places.

(4) All sanitary facilities shall be sufficiently ventilated.

32. Wash places and baths

(1) In passenger vessels performing voyages the duration of which exceeds 48 hours there shall be provided for the exclusive use of passengers washing facilities at the following scales, namely :-

(a) One wash basin or sink with running fresh water for every 25 passengers; and

(b) One water tap or shower for bathing for every 25 passengers or part thereof and at least one tap or shower shall also be fitted to supply running hot water and so regulated as to prevent scalding.

(2) Every passenger vessel performing a voyage the duration of which in ordinary circumstances is less than 48 hours but not less than 24 hours shall be provided with wash basins, taps or showers at half the prescribed rate.

(3) Every passenger vessel performing a voyage the duration of which does not exceed 24 hours shall be provided one wash place for male passengers and one for female passengers; and each of such wash basins or sinks shall be functional with running cold fresh water.

Explanation: Where the voyages exceed 12 hours duration, showers or taps with fresh running water shall be provided in each wash place.

(4) At least one wash place shall be set apart for the exclusive use of female passengers.

33. Supply of food, fuel and water

- (1) Every passenger vessel on voyages exceeding 6 hours shall have provisions for food, beverages and drinking water to the passengers.
- (2) In no case a passenger shall be permitted to cook food on board.
- (3) There shall be fresh water of not less than 22.5 litres per day supplied to passengers for all purposes inclusive of the quantity necessary for drinking.
- (4) Fresh water may be carried in double bottom tanks or in other tanks fitted above double bottoms or any other tanks fitted for this purpose.
- (5) All fresh water tanks shall be cleaned, cement washed (or, if coated with bituminous plastic or other proprietary composition, re-coated where necessary) and aired and disinfected at intervals not exceeding 12 months and in addition, the tanks shall be thoroughly pumped out, hosed and disinfected prior to refilling at six months intervals.

Explanation: The disinfection as provided under this sub-rule shall, be carried out under the supervision of the Port health Officer or officer appointed by the Designated Authority..

- (6) There shall be provided on every deck used by passengers, efficient means for the regular supply of cold, fresh and potable drinking water suitably distributed in the passenger spaces.

34. Guard rails and stanchions

- (1) All passenger vessels carrying passengers shall be provided with bulwarks or guard rails on every deck to which the passengers have access.
- (2) Such bulwarks or guard rails shall be not less than 100 centimeters high, measured from the top of the deck to the top of the uppermost rail and the rails shall be not more than 230 millimeters apart unless strong netting is provided.
- (3) Where bulwarks are fitted, the freeing ports shall be fitted with suitable grids for protection of passengers.

[F. No. IWT-11011/91/2021- IWT]

SUNIL KUMAR SINGH, Adviser (Statistics)